हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, जिसके आराजी संख्या 2466 है के बदले प्रथम पक्ष की उत्तरी दिशा की उतनी ही जमीन द्वितिय पक्ष के खाते व नक्शे मे आराजी सं. 2465 से तरमीम किया जावे। उपरोक्त रास्ता सामलाती रूप से खाते मे दर्ज किया जावे।

मैने प्रस्तुत आपसी राजीनामा का अध्ययन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया। न्यायहित मे प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेजा परवार हल्का मेजा तहसील माण्डल मे स्थित आराजी सं. 2465 मे आने-जाने हेतु रास्ता हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी सं. 2466 मे से 0.080 हेक्टेयर भूमि बिलानाम (गै.मु.रास्ता) दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावे। एवं इसके बदले वादीगण की आराजी सं. 2465 मे से 0.080 हेक्टेयर भूमि की उत्तरी दिशा मे से कम की जाकर प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम ब्राह्मण के नाम कृषि आराजी खाते मे दर्ज किया जाकर नक्शे मे तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाकर पालना कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:35:55 IST
Reason: SelfAttested